

# न्यायालय, समाहर्ता, खगड़िया।

202/17 का सं. 4/17

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०

जिला-खगड़िया

सा०

सन्

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
24.04.2017	<p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1351/सी०आर० दिनांक 12.04.2017 द्वारा खगड़िया थाना काण्ड संख्या-687/2016 दिनांक 04.12.2016 धारा-47(ए०) बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब-<del>550</del> सीस तथा ऑफिसर च्वाईस विदेशी शराब थाना के मालखाना में रखा हुआ है। अनुसंधानोपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। जप्त विदेशी शराब सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि खगड़िया थाना काण्ड में जप्त देशी/विदेशी शराब को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>समाहर्ता, खगड़िया।</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित</p> <p>24/04/2017</p> <p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया</p> <p>उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया</p> <p>समाहर्ता, खगड़िया</p>



समाहर्ता, खगड़िया।

Handwritten notes in vertical text on the right margin, including dates and names of officials.